an>

Title: Need to grant the status of 'Rashtra Pita' to Dr. Bhimrao Ambedkar and Subhasha Chandra Bose.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) ः उपेक्षित वर्ग का अद्वितीय रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्र निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर का विज़न और आधुनिक विश्व इतिहास के महानायक सुभाष चन्द्र बोस इन दोनों महान विभूतियों ने स्वतंत्र भारत के उज्ज्वल स्वरूप का सपना देखा था और उस सपने को साकार करने के लिए अपने-अपने जीवन की आहुति दी थी। देशवासियों को "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा " का नारा देने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के असली हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर भारतीय राजनीति का कर्ण कहा जाए तो अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा। जैसे महाभारत में महाबली कर्ण के साथ जीवनपर्यंत यहां तक कि मृत्यु तक अन्याय होता रहा, उसी तरह नेताजी के साथ पूरे जीवनकाल ही नहीं, मृत्यु के बाद भी अन्याय पर अन्याय ही हुआ, वह भी उनके अपने देश में। वहीं ब्रिटिश हुक्मरानों की आंख की किरकिरी रहे सुभाष बाबू के खाते में केवल उपेक्षा, अपमान, पलायन और मौत ही आई। कहा जाता है- सुभाष बाबू के आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने की भारतीय युवकों में दीवानगी देखकर ब्रिटिश सरकार के होश भी उड़ गए थे। नेताजी की नीति और कार्यों को इस तरह पेश नहीं किया गया, जितना वह डिजर्व करते थे। इसी तरह से भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सामाजिक एवं धार्मिक योगदान के रूप में मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति-पाति, ऊँच-नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन (1927),, महाड सत्याग्रह (वर्ष 1928), नासिक सत्याग्रह (वर्ष 1930), येवला की गर्जना (वर्ष 1935), जैसे आंदोलन चलाये। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक पांच साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया था। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला-पुरूष के लिए समान नागरिक हिन्दू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति-निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कम्पट्रोलर व ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई। प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वक्त के तकाजे को देखते हुए सुभाष बाबू के बलिदान एवं डॉ. अम्बेडकर के आधुनिक भारत के विजन को दृष्टिगत रखते हुए गांधी जी के साथ इन्हें भी राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान करते हुए भारतीय नोट पर इनकी भी तस्वीर छापी जाए, जो कि एक सच्चे देशभक्त के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।